शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-1/2022/27/**अरसठ-4-2022-**9(16)/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2022

विषय :दिनांक 23 जनवरी, 2022 को पुन: आयोजित होने वाली उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) 2021 को शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के क्रम में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) कराये जाने की अनिवार्यता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-5/2021/192/अरसठ-4-2021-9(16)/2020 दिनांक 15.03.2021 द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) 2021 के आयोजन हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों सहित मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं शासनादेश सं0-15/2021/1103/अरसठ-4-2021-9(16)/2020 दिनांक 22.12.2021 द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) 2021 के पुन: आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) 2021 का आयोजन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी (संस्था परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा कराया जा रहा है। यह परीक्षा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर **दिनांक 23 जनवरी, 2022** को आयोजित की जायेगी। उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) 2021 के दो स्तर (प्राथमिक स्तर कक्षा- I से V तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा-V से VIII तक) होंगे। प्राथमिक स्तर की परीक्षा प्रात: 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा अपराह्न 02:30 बजे से 05:00 बजे तक आयोजित की जायेगी। उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) सुचारू, नकल विहीन, शान्तिपूर्ण एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

2- अत: उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET**) 2021 सुचारू, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन/सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नवत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय -

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **<u>परीक्षा का आयोजन -</u>**

(i) उ**0**प्र**0** शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UP-TET)** 2021 प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं देखरेख में जनपद स्तर पर आयोजित कराई जायेगी। जनपद स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु निम्नवत् समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी-

(क)	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
(ख)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ अधीक्षक पुलिस	-	सदस्य
(ग)	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	सदस्य
(घ)	जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य सचिव
(च)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य

प्राथमिक स्तर (कक्षा- I से V तक) तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-V से VIII तक) की परीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा जनपद स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 सुचारू एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न करायी जायेगी। ***<u>परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरान्त अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।</u>***

(ii) परीक्षा की गोपनीयता तथा संवेदनशीलता के दृश्टिगत प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 लागू की जाय तथा उक्त परिधि में परीक्षा से सम्बन्धित लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

(iii) <u>परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पादित कराये जाने व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा तिथि</u> **23 जनवरी**, **2022** <u>को प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की वीडियों रिकार्डिंग की जाय। उक्त के साथ ही प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर सचल दल, स्टेटिक मजिस्टेट तथा पर्यवेक्षक दलों द्वारा परीक्षा केन्द्रों का संघन निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित कर लिया जाय कि परीक्षा केन्द्रों पर इस प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध न हो जिससे की परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की सम्भावना उत्पन्न हो सके। उक्त के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के उन कक्षों पर भी विशेष ध्यान रखा जाय जो बंद पडे हो अथवा उनका प्रयोग न किया जाता हो।</u>

(iv) प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रवेश पत्र, पहचान पत्र/परिचय पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का केन्द्र व्यवस्थापक एवं नामित पर्यवेक्षकों द्वारा संघन परीक्षण/निरीक्षण किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक द्वारा उपस्थित वास्तविक अभ्यर्थी का मिलान उनके प्रवेश पत्र, पहचान पत्र/परिचय पत्र पर अंकित फोटो तथा उपस्थिति पत्रक में अंकित फोटो से कर लिया जायेगा।

(v) परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के साथ-साथ, कक्ष निरीक्षक, तथा अन्य किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक या अन्य कोई यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है, पाये जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक *मजिस्ट्रेट/सेक्टर* मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल फोनस्मार्ट फोन ले जाने की अनुमति नहीं हैं। केन्द्र / व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक *मजिस्ट्रेट/सेक्टर* मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ ऐसा मोबाइल फोन ले जा सकते हैं जो सामान्य कीपैड वाला, कैमरा रहित फोन हो और स्मार्ट फोन की श्रेणी में न आता हो।

(vi) अभ्यर्थियों को परीक्षा हाल/कक्ष के भीतर प्रवेश पत्र तथा काले बाल प्वांइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, कैलकुलेटर, डाकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकडे, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) **जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक यथा आवश्यक पर्याप्त कर्मचारियों एवं *पुलिस बल* की तैनाती कर परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सघन निरीक्षण कर सुनिश्चित कर लेंगे की कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार की नकल सामग्री एवं प्रयोग किये जाने वाले अनुचित साधन के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न कर सके।** साथ ही यह भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले चुका कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के पूर्व कक्ष निरीक्षक की अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र से बाहर न जा सके।

पुनः यह सुनिश्चित किया जाय कि परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के साथ-साथ, कक्ष निरीक्षक, तथा अन्य किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक या अन्य कोई यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है।

1.2- **परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की बैठक-:**

(i) जिलाधिकारी परीक्षा की तिथि **23 जनवरी, 2022** से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी। जनपद में परीक्षा नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व भी जिलाधिकारी /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का होगा।

(ii) उक्त परीक्षा अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मण्डलायुक्त का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने मण्डल के समस्त जनपदों में उक्त परीक्षा को सुचारू, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन/सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक अपने (बेसिक) मण्डल के समस्त जनपदों की सूचना मण्डलायुक्त को देंगे। मण्डलायुक्त द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने पर रिपोर्ट प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन को प्रेषित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- **<u>प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख-:रखाव-</u>**

(i) सभी जनपद मुख्यालयों पर परीक्षा तिथि **23 जनवरी**, **2022** से पूर्व (दिनांक 19.01.2022 से 21.01.2022 रात्रि तक किसी भी समय) आवश्यक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें (ओ0एम0आर0 शीट) जिलाधिकारी द्वारा नामित *मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट* तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जायेगी। सम्बन्धित *मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट* तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नपत्र कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाय।

(ii) प्रश्नपत्रों को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा। कोषागार से प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों तथा ओ0एम0आर0 सीट को सुरक्षित पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कार्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी।

प्रश्नपत्र को कोषागार से प्राप्त करते समय यह विशेष ध्यान दिया जाय कि प्रथम पाली की परीक्षा के समय प्रथम पाली का प्रश्नपत्र तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के समय द्वितीय पाली का प्रश्नपत्र ही निकाला जा रहा है।

किसी भी दशा में सम्बन्धित पाली का प्रश्नपत्र परीक्षा समाप्ति से पूर्व बाहर (यथा वाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस) पर नहीं जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक पाली के लिए अलग-अलग स्टेटिक मजिस्ट्रेट /सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया जाय जो कोषागार के डबल लॉक से प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केन्द्र में लेकर जाएं और अपने समक्ष दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित समय पर केन्द्रव्यस्थापक, दो कक्ष निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षक के सामने खुलवाएं तथा अपनी उपस्थिति में ही प्रश्नपत्रों को वितरित करायें। **प्रश्न पत्र खोले जाने के समय का वीडियो रिकार्डिंग कराया जाना अनिवार्य है** तथा इस आशय का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। लगाये गये स्टेटिक मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी देख-रेख में शुचितापूर्ण ढ़ग से परीक्षा को सम्पादित करायेंगे। परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरान्त सदस्य सचिव (जिला विद्यालय निरीक्षक) द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जायेगी। **परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त केन्द्र व्यस्थापक द्वारा, दो कक्ष निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक को सील किये जाने के समय की भी वीडियो रिकार्डिंग करायी जाएगी।**

(iv) उत्तर पुस्तिकाओं (OMR) को सुरक्षित पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा उत्तर पत्रक को गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। **उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल पर्याप्त पुलिस स्कॉर्ट के साथ सुरक्षित रूप से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे।**

(v) उक्त के अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य सम्बन्धित के द्वारा सुरक्षा के दृश्टिकोण से किसी भी सहायता की मांग पर तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1- <u>परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण</u>-:

(i) परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त, **परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल व कार्बन प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ अलग-अलग भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर कोषागार के डबल लॉक में पहुंचाने तथा तद्दिनांक को ही कोषागार के डबल लॉक से उत्तर पत्रकों के सील्ड बंडल को सुरक्षित रूप से निर्देशपुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में परीक्षा दिवस के अगले दिवस तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टेटिक मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।**

(ii) उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर पत्रक को गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उत्तर पत्रक (OMR) तीन प्रतियों में होगा, जिसमें प्रथम प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ मूल्यांकन केन्द्र हेतु सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म के लिए सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा। द्वितीय प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज हेतु लाल रंग के कपड़ें में सील्ड किया जायेगा तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। समस्त उत्तर पत्रकों (उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल) को परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराया जायेगा।

4- <u>परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों हेतु निर्देश</u>-

1. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाईन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाणपत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा-

(1) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति।

(2) **सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी द्वारा इण्टरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नोट</u> -जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश-पत्र, पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. *परीक्षा कक्षा/हाल परीक्षा आरम्भ **होने से 01 घण्टे पूर्व खोले जाएंगे।** अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। **परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरान्त अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।** यदि अभ्यर्थी ट्रेफिक जाम, ट्रेन/बस की देरी इत्यादि के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह संभव है कि वे परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले सामान्य अनुदेशों को सुनने से वंचित हो जाएं। **इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा आरम्भ होने से कम से कम एक घण्टे पहले किसी भी दशा में परीक्षा कक्ष में पहुंच जाय।***
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित की जाएगी जिस पर उसका रोल नम्बर दर्शाया गया होगा। अभ्यर्थी को अपने लिए आवंटित सीट को तलाशना होगा और केवल उसी पर ही बैठना होगा। यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने उसे आवंटित किए गए अपने कमरे अथवा सीट को बदला है, तो उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. *यदि कोई अभ्यर्थी **परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरान्त** आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*
5. **अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश पत्र तथा काले बाल प्वांइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, कैलकुलेटर, डाकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रानिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के रूप में माना जाएगा और वह सामग्री भी जब्त करते हुए उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।**
6. केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उतर-पुस्तिकाएं ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्षा/हॉल से बाहर नहीं जाएंगे।
7. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष/हॉल में उन्हें उपलब्धकराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में भी उन्हें अपने साथ अच्छी क्वालिटी के बॉल प्वाइंट पेन (काला) लाने चाहिए। इन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
8. परीक्षा हॉल/कक्ष में धुम्रपान करना, गुटका चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. परीक्षा घंटों के दौरान परीक्षा कक्षों में चाय, कॉफी, शीतल पेय आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।

10. पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट-बुकलेट दी जायेगी जिसके भीतर उत्तर पुस्तिका रखी होगी।

11. टेस्ट-बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक टेस्ट-बुकलेट को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोडें।

12. **पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट-बुकलेट की सील को तोडने/खोलने के लिए कहा जायेगा। वे अपना उत्तर-पत्रक सावधानी पूर्वक निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर-पत्रक पर अंकित टेस्ट-बुकलेट कोड वही है, जो टेस्ट-बुकलेट पर अंकित है। इनमें भिन्नता होने के मामले में, अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट-बुकलेट और उत्तर-पत्रक को बदलने के लिए परीक्षा निरीक्षक को देनी चाहिए ।**

13. इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तर-पत्रक पर अपने विवरण केवल काले प्वाइंट पेन से लिखेंगे। पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर-पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात, अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।

14. परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश-पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।

15. परीक्षा के समय के दौरान, कक्ष निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। कक्ष निरीक्षक उत्तर-पत्रक पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

16. *दिनांक 23.01.2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में* **सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों/प्रतिभागियों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा जनपद-टू-जनपद परिवहन विभाग/निगम द्वारा तथा जनपद के अन्दर अर्थात सिटी में (जिन जनपदों में सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध है) नगर विकास विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।**

17. *निःशुल्क आवागमन का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु समस्त अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऑनलाईन डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र की कुल-5 से 6 प्रतियॉं अपने पास सुरक्षित रखे तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर परिचालक को उपलब्ध करायें। अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, उस पर अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान एवं गन्तव्य स्थान का नाम तथा डाउन ट्रिप के लिए डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान एवं गन्तव्य स्थान का उल्लेख किया जायेगा।*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

18. निःशुल्क यात्रा की सुविधा परीक्षा तिथि 23.01.2022 से 01 दिन पूर्व तथा 01 दिन बाद तक उपलब्ध करायी जायेगी। अर्थात दिनांक 22.01.2022, 23.01.2022 तथा 24.01.2022 हेतु सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा मान्य होगी। सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 22.01.2022 तथा 23.01.2022 (रात्रि 12:00 बजे तक) हेतु मान्य होगी।

5- प्रबन्ध निदेशक, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0 तथा निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय (क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र), गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ हेतु दिशा-निर्देश-

1. **दिनांक 23.01.2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों/प्रतिभागियों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा जनपद-टू-जनपद परिवहन विभाग द्वारा तथा जनपद के अन्दर अर्थात सिटी में (जिन जनपदों में सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध है) नगर विकास विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।**
2. निःशुल्क यात्रा की सुविधा परीक्षा तिथि 23.01.2022 से 01 दिन पूर्व तथा 01 दिन बाद तक उपलब्ध करायी जायेगी। अर्थात दिनांक 22.01.2022, 23.01.2022 तथा 24.01.2022 हेतु सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा मान्य होगी। सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 22.01.2022 तथा 23.01.2022 (रात्रि 12:00 बजे तक) हेतु मान्य होगी। इस हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम तथा परिवहन निगम के समस्त परिचालकों को तथा **निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय (क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र), गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ** द्वारा समस्त परिचालकों को निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
3. *दिनांक 23.01.2022 को पुनः आयोजित होने वाली उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा- 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतिभागियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग द्वारा परीक्षा तिथि दिनांक 23.01.2022 को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जायेगी, जिससे प्रतिभागियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। परीक्षा तिथि 23.01.2022 को परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था के संबंध में विशेष ध्यान दिये जायेगें, जिससे किसी प्रकार की भीड़ आदि एकत्र होने की समस्या (गैदरिंग) उत्पन्न न हो। इस संबंध में परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग द्वारा बस परिचालकों को इस आशय के निर्देश निर्गत किये जायेंगे।*

5- अन्य व्यवस्थाएं-

(i) परीक्षा केन्द्रों के मुख्य द्वार तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु जनपदों में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अतः सम्बन्धित समस्त जनपदों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा बस स्टेशनों/रेलवें स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने एवं ट्रैफिक नियंत्रण के कुशल संचालन हेतु सम्यक व्यवस्था की जाय।

(iii) जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले तत्वों/संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखी जाय एवं ऐसे समस्त तत्वों के विरूध आवश्यक निरोधक विधिक कार्यवाही की जाय तथा संवेदनशील स्थानों की संघन जांच करायी जाय।

(iv) उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से आयोजित कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों का होगा।

(v) उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में किसी भी दशा में नकल एवं अनुचित साधन का प्रयोग न हो तथा परीक्षा प्रत्येक दशा में शान्तिपूर्ण ढंग से पूरी शुचिता एवं पवित्रता के साथ सम्पन्न हो। उक्त परीक्षा की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के दृश्टिगत यह आवश्यक है कि परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही अत्यधिक सावधानी एवं सजगतापूर्वक सुनिश्चित की जाय।

अतः कृपया उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा **(UP-TET)** 2021 शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से भी सम्बन्धित को प्रभावी निर्देश प्रदान करने एवं प्रभावी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

भवदीय

(दीपक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2022/27/**(1)/अरसठ-4-2022-**9(16)**2020/ तद्दिनांक -**

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त परिक्षेत्रीय, उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, एल0सी0टी0एस0एल0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
12. शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) प्रदेश उत्तर, लखनऊ।
13. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. श्री अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, लखनऊ।
15. निजी सचिव, मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
16. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
17. निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री अनिल कुमार) परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
19. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उ0प्र0।
20. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
21. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उक्त की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा **(UP-TET)** 2021 शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in